वर्ष 4, संख्या 96 रु. 1/-

राष्ट्र महिला

अगस्त 2007 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में महिलाओं पर तेज़ाब फैंकने की बढ़ती घटनाओं पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। ऐसा एक प्रहार अभी हाल ही में एक पड़ोसी द्वारा नोएडा में एक 17-वर्षीय लड़की पर किया गया। एक सप्ताह पूर्व मैसूर में एक 22-वर्षीय गृहिणी को अपने पति ने सल्फयूरिक एसिड मिश्रित शराब पीने के लिए वाध्य किया। कुछ दिन पश्चात् दिल्ली की एक फैशन डिज़ाइनर को ऐसे प्रहार का सामना करना पड़ा। ये सभी महिलायें अब अपने जीवन से जूझ रही हैं।

इन रोमांचकारी घटनाओं में आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे प्रहार करने वाले आसानी से ज़मानत पर छूट जायेंगे किन्तु पीड़ितों को अपनी ज़िन्दगी से जूझना पड़ेगा। और वे जीवित रहती हैं तो भी उनका सदमा आजीवन उनका पीछा करेगा क्योंकि ऐसी घटनाएं पीड़ितों के शरीर और आत्मा पर स्थायी निशान छोड़ जाती हैं क्योंकि इनके कारण उनका शरीर प्रायः विकृत हो जाता है और वे अंधी भी हो जाती हैं। ऐसे समाज में जहां विकलांगों का कोई आदर नहीं करता, तेजाब के प्रहार से पीड़ित महिलाओं की दुर्दशा की कल्पना आसानी से की जा सकती है।

तेज़ाब के प्रहार से पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास करना भी कठिन है क्योंकि प्लासटिक सर्जरी, त्वचा लगाना या त्वचा पुनः उगाना न केवल महंगा है अपितु पूरी तरह स्वस्थ होने की संभावनाएं भी कम हैं। शिक्षित और पहले रोज़गार करने वाली महिलाएं भी बेरोजगार हो जाती हैं और अकस्मात वित्तीय रूप से निर्भर हो जाती हैं।

चर्चा में — महिलाओं पर तेज़ाब प्रहार

इस अपराध की गम्भीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की है कि तेज़ाब प्रहारों को बलात्कार के तुल्य माना जाये आयोग ने इससे निपटने के लिए एक अलग कठोर कानून बनाने की भी मांग की है क्योंकि इसमें अभी भी बहुत कम लोगों को दोषी ठहराया जाता है। आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि राज्य सरकार द्वारा अन्तरिम राहत के रूप में 20,000 रुपये दिये जाने, पीड़ितों के इलाज के लिए अस्पताल को भुगतान करने के लिए सामूहिक बीमा योजना बनाने और एक राष्ट्रीय तेज़ाब प्रहार कोष की स्थापना करने का प्रावधान किया जाये।

इस समस्या का एक कारण यह भी है कि तेजाब - हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक तेज़ाब का इन प्रहारों में प्रायः प्रयोग किया जाता है जो रासायनों की किसी भी दुकान में आसानी से खरीदा जा सकता है। अतः तेज़ाब की बिक्री पर यथासंभव शीघ्र रोक लगाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त तेज़ाब प्रहारों और पीड़ितो को इनसे होने वाली परेशानियों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने ही महिलाओं पर तेज़ाब प्रहार को 'हत्या से बदत्तर' बताते हुए ऐसे प्रहारों की निन्दा की है और उनसे निपटने के लिए अधिक कठोर कानून बनाने की मांग की है। तेज़ाब प्रहार अभी भी गम्भीर शारीरिक क्षति पहुंचाने सम्बन्धी दाण्डिक प्रावधान के तहत आते हैं जिनके तहत दोष सिद्ध होने पर अधिक से अधिक सात वर्ष की सज़ा दी जा सकती है। तथापि, बंगलौर में एक अन्य तेज़ाब प्रहार करने वाले को बंगलौर के उच्च-न्यायालय ने पिछले वर्ष आजीवन कारावास का दण्ड दिया। इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जाना चाहिए और यह एक अपवाद न रहकर एक सामान्य प्रक्रिया बन जानी चाहिए।

करनाल नारी निकेतन में सुविधाओं के अभाव पर आयोग की सदस्य विस्मित

करनाल (हरियाणा) स्थित नारी निकेतन में पुलिस कर्मियों के प्रवेश तथा उनके द्वारा निकेतन के महिला संवासियों पर प्रहार के आरोप लगाये जाने पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया।

एक दो-सदस्यीय समिति ने, जिसमें श्रीमती यसमीन अबरार और श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य शामिल थीं, नारी निकेतन का दौरा करने के पश्चात ज़िला प्रशासन से संवासियों के विरुद्ध दायर मामले को वापस लेने के लिए कहा। 60 संवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं और प्रर्याप्त रहने के स्थान के अभाव पर विस्मित सदस्यों ने कहा "यह तो लड़कियों को कूड़े में डालने की जगह जैसी लगती है।"

समिति ने, जिसने परिसर का निरिक्षण किया और संवसियों, कर्मचारियों तथा जिला अधिकारियों से विचारों का आदान-प्रदान किया, निकेतन के कर्मचारियों की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को असंतोषजनक पाया। इसे मुख्य रूप से 'प्रशासन की असफलता' बाताते हुए सदस्यों ने निकेतन के पर्यवेक्षक से तत्काल परिसर के अन्दर आवंटित क्वार्टर में रहना आरम्भ करने के लिए कहा।

सदस्यों ने कहा कि "20 लड़कियों के लिए प्रावधान है जबकि इस समय चार कमरों में 60 लड़कियां रहती हैं।" तंग जगह के कारण संवासियों को अलग रखना असंभव था।

समिति के सदस्यों ने कहा कि लड़कियों ने बताया कि कथित घटना की रात को उनको अपने कमरों में बन्द कर दिया गया था और भीड़-भाड़ तथा बिजली में कटौती के कारण यह असह्य हो गया।

आयोग ने गैर-सरकारी संगठन "शक्ति वाहिनी" की एक शिकायत का संज्ञान किया जो उस क्षेत्र में हैल्पलाइन का संचालन करता है।

अनैतिक व्यापार पर राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूनीसेफ के सहयोग से महिलाओं और बच्चों के विशेष संदर्भ में अनैतिक व्यापार की रोकथाम पर एक दो-दिवसीय परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया।

अपने स्वागत भाषण में श्रीमती दीपा जैन सिंह, सचिव, महिला एवं बाल विकास, ने बताया कि भारत में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं जिनके तहत अनैतिक व्यापार की समस्या का तुरन्त समाधान करना सरकार के लिए आवश्यक है।

यूनीसेफ का प्रतिनधित्व करते हुए श्री ग्मार बरार ने अनैतिक व्यापार की रोकथाम में यूनीसेफ की वचनबद्धता की पुनरावृत्ति की और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया।

श्री शिवराज पाटिल, डा० गिरिजा व्यास और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र बाबू दीप जलाते हुए

डा० गिरिजा व्यास परामर्श सम्मेलन को सम्बोधित करती हुईं।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा० गिरिजा व्यास ने अपने भाषण में बताया कि अनैतिक व्यापार एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठित अपराध है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जानी चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र, जिला और गांव में अधिक खतरे वाले इलाके की पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनैतिक व्यापार की रोकथाम करने और संवेदीकरण तथा जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने में गैर-सरकारी संगठनों, सभ्य समाज तथा मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है।

राष्ट्रीय मानववाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र बाबू ने कहा कि अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए कई कानून होने के बाबजूद यह समस्या बनी हुई है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज की मानसिकता बदली जाये और मानव को प्रतिष्टा प्रदान की जाये।

अपने उद्घाटन भाषण में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल ने कहा कि अनैतिक व्यापार पर काबू पाने के लिए विद्यमान कानून पर्याप्त हैं किन्तु उनमें क्रियान्वयन में कठिनाईयां होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि इस समस्या को हल करने के लिए एक समेकित कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जिसमें केन्द्र, राज्यो, स्थानीय सरकारों, सभ्य समाज तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् एक कार्य- योजना तैयार की गई जिसमें एक राष्ट्रीय डाटाबेस और वैब पोर्टल तैयार करना शामिल था जिसमें दोषी पाये गये व्यक्तियों तथा संभावित अनैतिक व्यापारियों का व्यौरा उपलब्ध होगा।

श्रोताओं का एक दृश्य

प्रत्येक राज्य अनैतिक व्यापार पर अपनी कार्य योजना तैयार करेगा और इस समस्या से पिनटने के लिए गृह मंत्रालय में एक नोडल कक्ष स्थापित किया जायेगा। प्रस्तावित कार्य योजना में पारम्परिक रूप से अनुमत्य प्रथाओं जैसे देवदासी प्रथा को रोकने पर जोर दिया गया है। अनैतिके व्यापार को रोकने के कार्य में निगमित क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने की मांग भी की गई है।

जहां तक सीमा-पार अनैतिक व्यापार का सम्बन्ध है, कार्य योजना में प्रत्यावर्तित किये जाने वाले पीड़ितों के लिए अस्थायी शिविर या पारगमन केन्द्र स्थापित करने और पड़ोसी देशों के साथ प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

कार्य-योजना एक महीने के भीतर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी जायेगी जिसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल इस पर विचार करेगा।

राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं की बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की बैठक के साथ-साथ राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षाओं की भी परस्पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया।

तेईस राज्य आयोगों की अध्यक्षाओं और उनके कुछ सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया।

अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए डा० गिरिजा व्यास, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि 70 प्रतिशत समस्यायें सभी राज्यों की हैं और इसलिए उनके समाधान के लिए एक सामान्य नीति विकसित की जानी चाहिए। बैठक में राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में घटते महिला अनुपात और गर्भाधान पूर्व जन्म-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के कारगर क्रियान्वयन पर विचार किया गया।

अध्यक्षाओं का कहना था कि अध्यक्षाओं तथा सदस्याओं को मिलने वाले बेतन तथा भत्तों, बुनियादी सुविधाओं में एकरूपता नहीं है। कुछ आयोगों के पास पर्याप्त कर्मचारी, जगह या धनराशि नहीं है। उनका सुझाव था कि राज्य आयोगों में समानता होनी चाहिए और सभी को एक सी सुविधाएं दी जानी चाहिए। अधिकांश अध्यक्षाओं का कहना था कि आयोगों को वास्तव में कारगर बनाने के लिए उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। बैटक में उपस्थित सभी अध्यक्षा और सदस्या शिकायतों को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए संसाधनों में सांझा करने, महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए महिला बजट प्रणाली आरम्भ करने और कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सम्बन्धी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए तैयार थीं।

बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने पूर्वोत्तर राज्यों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रूढिगत कानूनों, निर्शात्र लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका, जातीय हिंसा के प्रभाव और सशस्त्र संघर्ष, नशाखोरी, अनैतिक व्यापार और एच. आई.वी./एड्स जैसे विभिन्न मामलों पर विचार किया गया।

सदस्यों के दौरे

- सदस्य मालिनी भट्टाचार्य ने फरीदाबाद से छुड़ाई गई दो कन्याओं, सुजाता और सीता के मां-बाप के साथ पश्चिम बंगाल महिला आयोग के कार्यालय में एक सुनवाई का आयोजन किया।

उन्होंने अन्य राज्यों को महिलाओं के सुरक्षित प्रवास के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर एक परामर्श में भी भाग लिया। यह निर्णय लिया गया कि दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक बहु-अनुशासनिक समिति का गठन किया जाये जिसमें राज्य महिला आयोग को एक नोडल एजेन्सी बनाया जाये।

श्रीमती भट्टाचार्य "स्वयं तथा अन्य: महिला तथा वर्ग मामले" पर मुख्य भाषण प्रस्तुत करने के लिए दक्षिण दिनाजपुर में गंगारामपुर गईं। उन्होंने नाडिया जिले के नवाडविप में रहने वाली विधवाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए नवाडविप का दौरा भी किया।

नगांव में डी.सी., एस.पी. और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में श्रीमती नीवा कंवर (मध्य)

- सदस्या नीवा कंवर ने नगांव के आमूलपथी में आयोजित एक महिला बैठक में भाग लिया और सहभागियों से महिलाओं की सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाने की अपील की। बाद में उन्होंने नगांव में सिविल अस्पताल और प्रसूति वार्ड का दौरा किया। कुछ रोगियों ने अस्पताल में दवाईयां उपलब्ध न होने के बारे में शिकायत की। इस शिकायत की ओर जिला आयुक्त का ध्यान दिलाया गया। उन्होंने नगांव केन्द्रीय जेल का दौरा भी किया और संवासियों के लिए कई कल्याण उपायों का सुझाव दिया।

श्रीमति मंजू हेमब्राम कार्यशाला में

- सदस्या मंजू हेमब्राम ने जिला जसपुर (छत्तीसगढ़) में महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक कार्यशाला में भाग लिया। करीब 1800 महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

पटना के एक स्वयंसेवी संगठन प्रयास भारती ने, जिसने पिंकी को देहव्यापार से छुड़ाया था, हाल ही में पिंकी के विवाह का आयोजन किया। श्रीमती हेमब्राम इस अवसर पर उपस्थित थीं और उन्होंने दुल्हन का कन्यादान किया।

- सदस्या निर्मला बेंकटेश रविकला द्वारा अपने "बॉस" के विरूद्ध दायर की गई यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए बंगलौर गईं। उन्होंने सूमा के मामले की भी जांच की जिसने अपने पति और ससुराल के विरूद्ध उत्पीड़न की शिकायत की थी। बाद में उन्होंने सिद्दापुर में गंदी बस्ती का दौरा किया, महिलाओं से बातचीत की और उनकी शिकायतों को सुना।

अवयस्क बलात्कार पीड़ितों के विचारण के लिए उच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश जारी किये

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों पुलिस और निचली अदालतों द्वारा अवयस्क बलात्कार पीड़ितों से कोमलहृदय से निपटने के उद्देश्य से कुछ दिशानिर्देश जारी किये हैं।

न्यायमूर्ति आर०एस० सोदी के नेतृत्व में एक न्यायपीठ ने कहा : "यौन उत्पीड़न के बाल पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और गरिमा दिखाई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका आगे उत्पीड़न न हो, दाण्डिक न्याय प्रणाली से सम्बन्धित सभी लोगों का उनकी भूमिका के बारे में संवेदीकरण किया जाना चाहिए।

सही ढंग से क्रियान्वित किये जायें तो इन नियमों से बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि दर बढ़ेगी जो अभियोजन निदेशालय के अनुसार 2006 में केवल 20 प्रतिशत थी। 2005 में तो दोषसिद्धि दर और भी कम अर्थात् केवल 16 प्रतिशत थी।

निर्देश

पुलिस के लिए

- बयान तुरन्त दर्ज करें। तहकीकात अधिकारी अधिमानत: एक महिला अधिकारी होना चाहिए।
- अधिकारी पुलिस वर्दी में नहीं होगा। बयान ऐसे स्थान पर दर्ज किया जायेगा जहां लड़की निडर होकर बोल सके।
- लड़की को आरोपी के सम्पर्क में आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
- बाल पीड़ित की पहचान सुरक्षित रखी जानी चाहिए।
- पीड़ित को कभी थाने में नहीं जाना चाहिए।

डाक्टरों के लिए

- महिला डाक्टरों को चिकित्सीय जांच करनी चाहिए।
- मनौवैज्ञानिक की सहायता उपलब्ध की जानी चाहिए।
- जांच के दौरान मां-बाप को उपस्थित रहना चाहिए।

मजिस्ट्रेटों के लिए

- पीड़ित का बयान बिना किसी स्थगन के तुरन्त दर्ज किया जाना चाहिए।
- पीड़ित अस्पताल में हो तो मजिस्ट्रेट को अस्पताल जाना चाहिए।
- न्यायालय में बयान दर्ज करने के लिए अलग कमरे होने चाहिए।
- बयान वीडियो रिकार्ड किये जाने चाहिए।

विचारण न्यायालयों के लिए

- बच्चे पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिए।
- कार्यवाही बन्द कमरे में होनी चाहिए।
- यदि संभव हो तो बयान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए।
- प्रश्नों को सोच-समझ कर ऐसी भाषा में रखा जाना चाहिए कि पीड़ित को परेशानी न हो।

आयोग की दहेज-विरोधी कानूनों को कठोर बनाने की मांग

दहेज सम्बन्धित मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तन करने की मांग की है। प्रस्तावित संशोधनों में, जो विचारार्थ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे गये हैं, दहेज की परिभाषा बदलने से लेकर दहेज मृत्यु के लिए अधिक कठोर दण्ड देने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की है कि दहेज की परिभाषा बदलकर इसमें दोनों चल और अचल सम्पत्ति तथा लड़की के मां-बाप से किसी उपहार की मांग सम्मिलित की जाये। आयोग यह भी चाहता है कि दहेज देने वालों के लिए सज़ा इस आधार पर कम की जाये कि वे अवपीड़न का शिकार होते हैं। आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने विवाह के समय यह घोषणा करना अनिवार्य करने की मांग की है कि उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया है।

घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत नियुक्त संरक्षण अधिकारियों को अधिकार देने का भी प्रावधान है ताकि वे दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायतें दर्ज कर सकें। दहेज अधिनियम के तहत स्थापित सलाहकारी बोर्डों के संरक्षण अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।

एक महिला की मृत्यु के मामले में यह सुझाव दिया गया है कि उसका दहेज उसकी संतान या मां-बाप को हस्तांतरित किया जाये। विद्यमान कानून के अनुसार संतान या मां-बाप तभी दहेज उत्तराधिकार में पा सकते हैं जब महिला की विवाह के सात वर्षों के भीतर अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु होती है। अन्यथा दहेज विरासत के कानूनों के अनुसार हस्तांतरित किया जाता हैं

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दहेज मामलों के लिए सज़ा, जो इस समय सात वर्ष से 10 वर्ष है, बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। आयोग ने मृत्यु दण्ड देने की मांग भी की है जिसका विद्यमान कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

महत्वपूर्ण निर्णय

घरेलु हिंसा अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से: दिल्ली न्यायालय ने अपने एक विनिर्णय में महिलाओं को महिलाओं की घरेलु हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत इस संविधि के लागू होने की तारीख से पहले भी किये गये आत्याचारों के लिए राहत की मांग करने की अनुमति दी है।

इससे यह अभिप्रेत है कि 26 अकतूबर, 2003 को घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होने से पूर्व अन्य अधिनियमों के तहत दायर किये वैवाहिक विवादों अथवा भरणपोषण सम्बन्धी लम्बित मामलों में इस अधिनियम के तहत कानूनी उपचार की मांग की जा सकती है। इनका सम्बन्ध संरक्षण, निवास या अभिरक्षा आदेश, आर्थिक राहत या प्रतिपूर्ति के दावों से है।

साहस की मिसाल

मंजू खतरी उदयपुर की एकमात्र महिला आटोरिक्शा चालक है और कई कठिनाईयों का सामना करने के पश्चात उसने पुरुष-प्रभुत्व वाले पेशे में पांव रखा है।

मंजू के पास, जो करीब पचास वर्ष की है, पंजाब से सिलाई में डिप्लोमा है। बहू 25 वर्ष पूर्व अपने विवाह के पश्चात् उदयपुर में बस गई। अपनी अल्प आय से गुज़ारा न कर पाने के कारण उसने एक आटोरिक्शा खरीदने के लिए ऋण लेने और वादन को पट्टे पर देकर आजीविका अर्जित करने का निर्णय लिया। इसके पीछे उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दिलाना था। किन्तु वाहन की मरम्मत के लिउ गराज के बार-बार चक्कर लगाने, फालतू पुर्जों पर बढ़ते व्यय और ड्राईवर की फीस आदि के कारण उसकी ऋण स्थिति बिगड़ गई। तभी एक मैकेनिक ने उसका बचाव किया और उसे गाड़ी चलाने का काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब मंजू उदयपुर की सड़कों पर गाड़ी चलाती हैं और उसके साथी आटोरिक्शा ड्राईवर उसकी सहायता तथा सम्मान करते हैं और हर समय अपनी आदरणीय 'आंटी' की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। यातायात पुलिस कर्मचारी भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता करते हैं।

अग्रेतर सूचना के लिए देखें हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4-दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सब-अर्बन प्रेस, 244/5, गली नं. 13, थान सिंह नगर, आनंद पर्वत, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित • सम्पादक : गौरी सेन